संख्या-11/2015-996/38-3-2015-1105/2014टीसी

प्रेषक,

डा0 हरिश्चन्द्र,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक- 22 मई, 2015

विषय:- ई-डिस्ट्रिक्ट योजना के अन्तर्गत ग्राम विकास अधिकारियों को टैबलेट दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2015-2016 में वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने विषयक वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रदेश के समस्त ग्राम विकास अधिकारियों को ई-डिस्ट्रिक्ट योजना के अन्तर्गत ग्राम विकास अधिकारी को टैबलेट दिये जाने हेतु आयोजनागत पक्ष में धनराशि रू0 5.00 करोड़ का प्राविधान हुआ है। उक्त प्राविधानित कुल धनराशि रू0 5.00 करोड़ का 50 प्रतिशत धनराशि रू0 2,50,00000/- (रू0 दो करोड़ पचास लाख मात्र) निम्न शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल आयुक्त, ग्राम्य विकास के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त निवर्तन पर रक्षित धनराशि का व्यय आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा तैयार नीति के अनुसार शासन की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर किया जायेगा।

(2) धनराशि के आहरण एवं व्यय में वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा व्यय धनराशि का समायोजन एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र ससमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन किया जायेगा।

3- उक्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-13 के अधीन आयोजनागत पक्ष में लेखा शीर्षक "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-15-ई-डिस्ट्रिक्ट योजनान्तर्गत ग्राम विकास अधिकारियों को टैबलेट दिया जाना-46- कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर का क्रय" के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्रशासकीय विभागों को प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

(डा0 हरिश्चन्द्र)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-11/2015-996/38-3-2015, तद्दिनांक

प्रतिलपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4. आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2
5. कार्यक्रम कार्यान्वयन अनुभाग
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कामता प्रसाद)
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।